

न्यायालय-नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।

-:: आदेश ::-

नी0प0मु0सं0-07 / 18-19

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,  
सियालजोरी शाखा, बोकारो

बनाम्

श्रीपाल सिंह शेखावत,

ग्राम-सियालजोरी, पोस्ट-योगीडीह, थाना-सियालजोरी, बोकारो।

01.03.2024 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नतुण्डी शाखा, बोकारो के द्वारा कुल राशि-4592.00 रु0 देनदार श्रीपाल सिंह शेखावत, ग्राम-सियालजोरी, पोस्ट-योगीडीह, थाना-सियालजोरी, बोकारो से वसूली करने हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु अधियाचना की गई थी। तदुपरांत उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली हेतु न्यायालय के द्वारा देनदार के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला हेतु गए कार्यालय प्रोसेस अनुसेवक के द्वारा तामिला प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि "देनदार को नोटिश तामिला हेतु सियालजोरी गए। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि श्रीपाल सिंह शेखावत पहले इलेक्ट्रोस्टील में काम करता था। ये अब सियालजोरी गाँव में नहीं रहता है। अतः नोटिश वापस किया जाता है। "

उक्त तामिला प्रतिवेदन के आधार पर देनदार का अध्यतन पता उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय पत्रांक-695, दिनांक-11.05.2023 के द्वारा अधियाची पदाधिकारी-सह-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नतुण्डी शाखा को पत्राचार किया गया। पुनः न्यायालय पत्रांक-731 दिनांक-17.05.2023 एवं पत्रांक-1055 दिनांक-06.07.2023 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित करने के बावजूद भी अधियाची पदाधिकारी के द्वारा देनदार का अध्यतन पता उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अधियाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली की दिशा में कोई भी अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त के आलोक में अधियाची पदाधिकारी/प्रथम पक्ष के द्वारा अधियाचित राशि वसूली की दिशा में अभिरुचि नही लेने के कारण बिहार एवं उड़ीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम 1914 की धारा-53(II) के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-


अंचल अधिकारी-सह-  
नीलाम पत्र पदाधिकारी,  
चन्दनकियारी।

ह0/-

अंचल अधिकारी-सह-  
नीलाम पत्र पदाधिकारी,  
चन्दनकियारी।

ज्ञापांक.....313...../चन्दनकियारी, दिनांक.....01.03.24.....

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सियालजोरी शाखा, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
अंचल अधिकारी-सह-  
नीलाम पत्र पदाधिकारी,  
चन्दनकियारी।